



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-
LUCKNOW

PRINT DATE :- 29/04/2016

APPLICATION NO: 50603

FILE NO :

NR-144/EE/M CELL/2016

WARD:

SCHEME :

GOMTI NAGAR

PERMIT NO: 39783

SITE OF

GROUP HOUSING

SECTOR :

VIBHUTI KHAND

PROPERTY NO TC/G-6/B

NAME:

D L F UNIVERSAL LTD

Address:

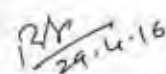
1/72, VIPUR KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW

Sanction vide order dated **18/03/2016** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: 17/03/2021

or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction if Required:


Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.

प्रतिबन्ध-

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति 15 दिन में प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। एन.ओ.सी. प्रस्तुत नहीं करने की दशा में मानचित्र स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षाप्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
3. शासनादेश के कम में भूकम्परोधी प्रमाणपत्र ड्राईंग डिजायन वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार प्रस्तुत करना होगा तथा, रेनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैंड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व आश्रित व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
7. जिलाधिकारी से खनन पर अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
8. पार्किंग क्षेत्र में केवल पार्किंग का प्राविधान करना होगा अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. यदि भविष्य में कोई देनदारी होती है तो पक्ष को जमा करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वांछित समस्त विभागों की अनापत्ति एक माह में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
11. प्रश्नगत भूमि/भवन के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाये जाने की पुष्टि होती है तो धारा-15(9) के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
12. तकनीकी समिति के निर्णय के कम में स्थल पर यथा स्थान तालाब की भूमि को अलग करते हुए चहार दीवारी का निर्माण करा कर सूचित करना होगा।
13. निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस श्रम विभाग में जमा करा कर रसीद की प्रमाणित छायाप्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।

